चलार्थ पत्र मुद्रणालयः नाशिक रोड (भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

का.आ.क्र .चपम्/मानव संसाधन/ 415

दिनांक : 07-12-2018.

 $\hat{\varphi}$

विषय/Sub: कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शिकायत समिति का गठन/ Constitution of Internal Complaints Committee (ICC) under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013.

चलार्थ पत्र मुद्रणालय प्रत्येक महिला को उसकी मर्यादा तथा सम्मान एवं न्यायसंगत कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है । यह परिवेश बेहतर करने अर्थात अपनी महिला कर्मचारियों के विकास के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा समान अवसर को प्रोत्साहित करती है । कंपनी किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को सहन नहीं करती है तथा अपनी महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

Currency Note Press is committed to provide a work environment that ensures that every women employee is treated with dignity and respect and afforded equitable. It is also committed to promote a work environment i.e. conduction to the growth of its women employees and encourages equality of opportunity. The Company will not tolerate any form of sexual harassment and is committed to take all necessary steps to ensure that its women employees are not subjected to any form of harassment.

2. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 को धारा 4 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतू निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाता है ।

In accordance with the provision as contained under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complain Committee (ICC) is consisted of the following members, to deal with the complaints of sexual harassment of women at workplace :-

= 2 =

- क) श्रीमती भारती शर्मा, सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)- अध्यक्ष/Smt. Bharti Sharma, Asstt. Manager (F&A) – Chairperson.
- ख) श्री. ए.बी.गावित, व. पर्यवेक्षक (मानव संसाधन) सदस्य/ Shri A.B.Gavit, Sr. Supervisor (H.R.)-Member
- ग) श्रीमती आरती आर. कपिले, पर्यवेक्षक (त.नि.) सदस्य/ Smt. Aarti R. Kapile, Supervisor (T.C.)-Member
- घ) श्रीमती पूर्वी त्रिवेदी, एनजीओ प्रतिनिधि सदस्य/ Ms. Purvi Trivedi, NGO representative-Member

3. यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत आंतरिक शिकायत समिति को लिखित में अथवा ई-मेल से घटना के तीन माह के अंदर अथवा यदि ये घटनाए निरंतर हो रही है तो अंतिम घटना की तिथि के तीन माह के अंदर भेजी जाए ।

Any grievance on sexual harassment may be referred to the ICC by writing through a letter or email within three months from the date of incidents of if there are series of incidents, three months from the date of last incidents.

4. दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत समिति की रिपोर्ट अपर महाप्रबंधक को प्रस्तुत की जाएगी/The Report of the Complaint Committee against erring officials shall be submitted to Additional General Manager.

5. यह आदेश, इस विषय पर इससे पूर्व जारी सभी आदेशों का अधिक्रमण करता है ।/This supersedes all the office orders in this regard.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।/ This issues with the approval of Competent Authority.

सनील दपारे

0

उप प्रबंधक (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि :-

महाप्रबंधक,

अपर महाप्रबंधक

मुख्य प्रबंधक(त.प्र.)।/॥, प्रबंधक(त.प्र.)-कार्यशाला, प्रबंधक(सामग्री), प्रबंधक(त.नि.)(प्र.) उप प्रबंधक(त.प्र.),उप प्रबंधक(त.स.), उप प्रबंधक(त.नि.), उप प्रबंधक(सु.प्रौ.), उप प्रबंधक(वि.एवं.ले)(प्र.) सहा प्रबंधक(त.प्र.), सहा प्रबंधक(त.स.), सहा प्रबंधक(त.नि.), सहा प्रबंधक(मा.सं.), सहा प्रबंधक(रा.भा.) सहा प्रबंधक(वि.एवं.ले.)-।/॥,अधिकारी (वि.एवं.ले.)-।/॥,अधिकारी(सु.प्रौ.), अधिकारी(त.प्र.), संरक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी/व.पर्यवेक्षक(भंडार), उप अग्निशमन अधिकारी, कैंटीन प्रबंधक, कार्य समिति वॉइस चेयरमैन, सचिव कार्य समिति, व.स्वास्थ्य निरीक्षक, का.प्रति/बुक